



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-150-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2023-11(75)-प्रसे०/98,

दिनांक 01.02.2023

कार्यालय-ज्ञाप

केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, चकपुरवा, सीतापुर रोड, लखनऊ द्वारा दिनांक 20.02.2023 से 25.02.2023 के मध्य आयोजित "वॉलेण्टियर फायर फाईटर्स कोर्स" में प्रतिभाग करने हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की ओर से निम्नलिखित कार्मिकों को एतद्वारा नामित किया जाता है :-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	सैप-आईडी	वर्तमान तैनाती स्थल
1	श्री सत्य प्रताप सिंह	अवर अभियन्ता	11002159	विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, भूतल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2	श्री वीरेन्द्र कुमार गौड़	फायरमैन	17400180	विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, भूतल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

- उपरोक्त नामित कार्मिक उक्त प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व सांयकाल तक कमाण्डेंट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, चकपुरवा, सीतापुर रोड, लखनऊ को अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- उक्त प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले उपरोक्त कार्मिकों को भोजन/आवास आदि की व्यवस्था हेतु रु० 1440/- (एक हजार चार सौ चालीस मात्र) प्रति प्रतिभागी की दर से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- भुगतान कमाण्डेंट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में जमा करना होगा एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त कार्यक्रम पर होने वाला समस्त व्यय उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के बजट के चालू वित्तीय वर्ष के सुसंगत मद में दर्शाया जायेगा।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या-150-(i)-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-प्रशासनिक अधिकारी, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० 528, जवाहर भवन, पंचम तल, अशोक मार्ग, लखनऊ को उनके पत्र सं०-1844/अनु०-1/02/2022, दिनांक 23.12.2022 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एस० पी० सिंह)

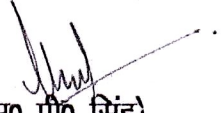
उप सचिव (ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०)

क्रमशः2

संख्या-150-(ii)-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-०१/पाकालि/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जानपद), पारेषण-द्वितीय, नवम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उनके पत्र सं०-337-मु०अ० (जानपद), पारेषण द्वितीय/फायर, दिनांक 20.01.2023 के सन्दर्भ में।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई भूतल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी, केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. प्रतिभागियों को नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० के पत्र की छायाप्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अपने आहरण वितरण इकाई से यथा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जमा कराकर ससमय भुगतान कर प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(एस० पी० सिंह)

उप सचिव (ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०)